

संख्या : शिक्षा (प्र०)एच० (६)३-१०/२०१९-एल०
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

अति आवश्यक
महत्वपूर्ण / समयवद्ध
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

दिनांक शिमला- 171001 सितम्बर, 2019

प्रेषित :-

1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

12 SEP 2019

शिमला-1

विषय :-

“अटल स्कूल वर्दी योजना” के अन्तर्गत सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली, तीसरी, छठी तथा नौवीं के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2019-20 में निःशुल्क स्कूल बैग की आपूर्ति एवम् आबंटन बारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है, कि सरकार के निर्णय के अनुसार इस वर्ष सरकार द्वारा सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के सभी छात्र-छात्राओं को “अटल स्कूल वर्दी योजना” के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में निःशुल्क स्कूल बैग का आबंटन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ई-निविदा के आधार पर वर्ष 2019-20 में निःशुल्क स्कूल बैग की आपूर्ति हेतु स्वीकृत एल-1 कम्पनियों को दिनांक 17-08-2019(प्रति संलग्न)आपूर्ति आदेश (Supply Orders) जारी किये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of the firm	Purchase Order	Class/ category	Ordered Quantity
1	M/s Vanishma Technologies Pvt. Ltd. Works/Ware House: S-26, S.S.G.T. Road, Bulandshahar Road, Ind. Area. Ghaziabad(U.P.)	1-597-2019	First	51,607
2	M/s Liverty Shoes Ltd. Livertypuram (Kutail), 13 th , Milestone G.T. Road, P.O. Bastara, Distt. Karnal-132114(Haryana)	1-598-2019	Third	55,768
3	M/s XO Food wear Pvt. Ltd. Corp. Office: A-122, Mangolpuri, Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110034	1-599-2019	Sixth	66,333
4	M/s M.B.Rubber Pvt. Ltd. Factory: D-13, 14, 15, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201010, Distt. Ghaziabad(U.P.)		Ninth	82,806
Total Students:-				2,56,514

उक्त स्वीकृत एल-1 कम्पनियों द्वारा शीघ्र ही वर्ष 2019-20 में स्कूल बैग की आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा, इसलिए शिक्षा विभाग के सभी चिन्हित (Identified)स्कूल बैग प्राप्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers)को उक्त स्वीकृत एल-1 कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019-20 की आपूर्ति की जाने वाली स्कूल बैग की प्राप्ति एवम् आबंटन बारे निम्नलिखित आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. उक्त स्वीकृत एल-1 कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाले स्कूल बैग को शिक्षा विभाग के चिन्हित(Identified)सभी प्राप्तकर्ता अधिकारियों(Indenting Officers)(128 BEEOs and 124 Principals of GSSS) को वर्ष 2019-20 के निःशुल्क स्कूल बैग प्राप्त करने हेतु आपके माध्यम से class/caterory wise स्वीकृत Master School Bag Samples (छात्र-छात्राओं)के एक- एक सेट उपलब्ध करवाये जा रहे है। जिन्हे आप सभी प्राप्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers)(BEEOs/Principals of GSSS) को शीघ्र उपलब्ध करवाएँ तथा उन्हे यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह Master School Bag Samples को सुरक्षित स्थान में रखना सुनिश्चित करे(under proper key & lock)। इसके अतिरिक्त सभी Indenting Officers तथा पाठशालाओं को यह भी निर्देश दिए जाते है कि वह Indenting Officers के कार्यालय में तथा पाठशालाओं में स्कूल बैग को सुरक्षित स्थान पर रखना तथा उसका उचित रख रखाव भी सुनिश्चित करें(under proper key & lock)।
2. शिक्षा विभाग के उक्त सभी चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officers)एल-1 कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले स्कूल बैग की प्राप्ति हेतु अपने-अपने कार्यालयों में अपनी अध्यक्षता में एक तीन सदस्यी कमेटी का गठन करेंगे तथा वह कमेटी स्कूल बैग की आपूर्ति का Master Sample के साथ मिलान (Matching) करना सुनिश्चित करेगी। आपूर्ति किए गए स्कूल बैग का मास्टर सैम्पल के साथ ठीक मिलान(Matching) न होने की स्थिति में सम्बन्धित Indenting Officers मामले को शीघ्र शिक्षा विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के ध्यान में लाए, ताकि मामले में नियमानुसार शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसलिए इस सन्दर्भ में आप प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि इस स्थिति में सभी चिन्हित Indenting Officers के कार्यालयों(128 BEEOs and 124 Principal of GSSS) से स्कूल बैग का पाठशालाओं को आवंटन तब तक न करें जब तक इस सन्दर्भ में सम्बन्धित Indening officers को विभाग द्वारा कोई अग्रिम निर्देश जारी न किए जाए।
3. विभाग द्वारा सभी स्कूल बैग प्राप्त अधिकारियों(IO's) को छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग के अलग-अलग अनुमोदित (approved) मास्टर सैम्पलज इस निर्देश के साथ उपलब्ध करवाये गए हैं कि सभी स्कूल बैग प्राप्त अधिकारी(IO's) उक्त मास्टर सैम्पलज के आधार पर ही स्कूल बैग की आपूर्ति को प्राप्त करें, जिसके लिए सभी IO's को यह निर्देश भी जारी किए गए है कि वह प्रत्येक IO's के कार्यालय में उक्त उद्देश्य हेतु तीन सदस्यों की कमेटी का गठन करें तथा वह कमेटी स्कूल बैग की (Supply) आपूर्ति का मास्टर सैम्पलज से मिलान करें, यदि कमेटी द्वारा आपूर्ति किए जा रहे स्कूल बैग का मास्टर सैम्पल के साथ सही मिलान नहीं पाया जाता है तो मामले को शीघ्र HPSCSC के समक्ष उठाए तथा उस सूरत में स्कूल बैग के सैम्पलज Lab. testing के लिए न भेजे। इस सन्दर्भ में सभी IO's को पुनः यह निर्देश दिए जाते है कि यदि स्कूल बैग की आपूर्ति का मास्टर सैम्पल के साथ सही मिलान (matching) नहीं होता है तो उस सूरत में स्कूल बैग के Random सैम्पलज को Lab. test के लिए न भेजें तथा मामले को शीघ्र E-mail के माध्यम से HPSCSC के साथ उठायें ताकि HPSCSC, e-tender तथा supply order में निर्धारित terms & conditions के आधार पर मामले में अग्रिम कार्रवाई करें। यदि IO's द्वारा स्कूल बैग की आपूर्ति का मास्टर सैम्पलज के साथ मिलान सही पाया जाता है तो उस सूरत में स्कूल बैग की आपूर्ति में से Random Samples HPSCSC को Lab. testing के लिए भेजें। इसके अतिरिक्त सभी IO's स्कूल बैग की आपूर्ति का सुरक्षित भंडारण व रख रखाव सही जगह पर सुनिश्चित करें तथा स्कूल बैग का छात्र-छात्राओं में वितरण HPSCSC से Lab. testing report प्राप्त होने के उपरान्त ही करे। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवम् उपरोक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना के लिए सम्बन्धित IO's स्वयं जिम्मेवार होंगे।

4. स्कूल बैग के सैटस/पैकेटस की आपूर्ति एवम् प्राप्ति आपूर्ति आदेश में निर्धारित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुसार होनी चाहिए। आपूर्ति किए जाने वाले बैग यदि निर्धारित शर्तों एवम् नियमों एवं गुणवत्ता से भिन्न पाई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ई-निविदा/अनुबन्ध एवम् आपूर्ति आदेश की शर्तों एवम् नियमों के आधार पर स्वीकृत एल-1 कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
5. "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत बच्चों में स्कूल बैग के आवंटन हेतु यह निर्णय लिया गया है, कि स्कूल बैग के आवंटन से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम स्कूल बैग के random sample नमूनों की स्वीकृत लैब से लैब टैस्टिंग करवाएगा तथा लैब टैस्टिंग की रिपोर्ट के उपरान्त ही आपूर्ति किए गए स्कूल बैग का आवंटन पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं को किया जाएगा। यदि लैब टैस्टिंग की रिपोर्ट आने से पहले पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग का आवंटन किया जाता है, तो इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक प्राक्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officers)(BEEOs/Principals of GSSS) जिम्मेवार होंगे।
6. प्रत्येक स्कूल बैग प्राक्तकर्ता अधिकारी(Indenting Officers)(BPEOs/ Principals GSSS) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल बैग की लैब टैस्टिंग हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को स्कूल बैग के Random sample भेजने हेतु अपने कार्यालय में गठित तीन सदस्य कमेटी कुल प्राप्त की गई वर्दियों में से एक स्कूल बैग का random sample (छात्र-छात्राओं का अलग-अलग)निकालकर उन random sample को संबन्धित प्राक्तकर्ता अधिकारी निम्न प्रपत्र अनुसार अपनी मोहर एवम् हस्ताक्षर करने के उपरान्त, उन्हें प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यालय को तीन दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवायेंगे।

प्रमाण पत्र

- | |
|--|
| क) पाठशाला का नाम: |
| ख) भेजे गये नमूनों (random sample)की संख्या:
(हस्ताक्षर एवं संबन्धित अधिकारी की मोहर तथा स्कूल बैग के सैट नं. के ब्यौरे सहित) |
| ग) दिनांक जिस तिथि को सैम्पल(random sample)निकाला गया: |
| घ) आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांक:(जिसके अंतर्गत स्कूल बैग प्राप्त हुए)
हस्ताक्षर (मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी का पूरा नाम
कार्यालय/पाठशाला का नाम |

7. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम प्राक्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) द्वारा भेजे गए स्कूल बैग के random samples को समयवद्ध तरीके से सरकार द्वारा स्वीकृत लैब से परीक्षण(lab. testing) करवाएगा तथा उक्त निगम Lab. test रिपोर्ट अभिलम्ब e-mail के माध्यम से प्राक्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) को सूचित करेगा तदुपरान्त ही स्कूल बैग का आवंटन पाठशालाओं में छात्र- छात्राओं को किया जाएगा। जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने कार्यालय में एक computerized time bound mechanism(MIS) सुनिश्चित करेगा।
8. स्वीकृत स्कूल बैग आपूर्तिकर्ता(एल-1 कम्पनियों) को शिक्षा विभाग के सभी चिन्हित प्राक्तकर्ता अधिकारियों से स्कूल बैग के मूल सत्यापित कय विल व जी.आर. हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, के कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।
9. प्रत्येक चिन्हित स्कूल बैग प्राक्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/ Principals GSSS) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल बैग की प्राप्ति के समय वह स्वीकृत आपूर्तिकर्ता(एल-1

कम्पनियों) से स्कूल बैग के मूल बिल, जी.आर., लैब टेस्ट रिपोर्ट इत्यादि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले।

10. सभी उप-निदेशक प्रा0/उच्च शिक्षा को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वीकृत एल-1 कम्पनियों द्वारा स्कूल बैग की आपूर्ति प्रत्येक चिन्हित प्राक्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) के कार्यालय(FOR) तक की जाएगी, इसलिए प्राक्तकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से स्कूलों तक स्कूल बैग की ढूलाई (carriage) हेतु transportation/carriage charges की अदायगी का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः स्कूल बैग की ढूलाई(carriage) के बिल आप अपने कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी (वि0 एवम् ले0) से सत्यापित (हस्ताक्षर एवं मोहर सहित) करवाने के उपरान्त सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूर्ण करके प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को भेजने की कृपा करें, ताकि विभाग द्वारा नियमानुसार इसका भुगतान आपको किया जा सके। इस सन्दर्भ में आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि आप किसी भी पाठशाला में बच्चों से स्कूल बैग की ढूलाई(carriage) हेतु किसी भी प्रकार का transportation/carriage charges वसूल न करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों से स्कूल बैग की ढूलाई का कार्य न करवायें, यदि इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की शिकायत सरकार/विभाग के ध्यान में आती है तो दोषी पाठशाला प्रमुखों/कर्मचारियों/अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कृपया इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझें।

O / (रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
C हिमाचल प्रदेश, शिमला -171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक सितम्बर, 2019

- प्रतिलिपि :-
1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
 2. प्रबंधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ब्लाक न0 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009 को सूचनार्थ एवम् आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
 3. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी अपने अधीनस्थ सभी उप निदेशक (उच्च शिक्षा) तथा पाठशाला प्रमुखों(GSSS & GHS) को इस सम्बन्ध में अपने कार्यालय से भी उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें तथा इस सन्दर्भ में उच्च शिक्षा निदेशालय तथा अपने अधीन सभी उच्च निदेशक (उच्च शिक्षा) के माध्यम से भी योजना की समय-समय पर monitoring करना सुनिश्चित करें।
 4. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
12-SEP 2019
शिमला-1

(रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला -171001

पृष्ठांकन संख्या : शिक्षा-कांगडा-1
दिनांक : 19/09/2019 5622
प्रतिलिपि : सम्स्त खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला कांगडा हि0प्र0 को सूचनार्थ एवम् आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तथा आगामी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त विषय वारे दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें।
नोट: BEEOs कक्षा पहली, तीसरी व छठी के बैग स्वयं अपने office में रखें जैसे उक्त पत्र में निर्देश दिए गये हैं।
अटल स्कूल की योजना 2018-19
By Director Elementary Eds
Kangra at Shimla
Scanned by CamScanner